11/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी स्वयं को बार-बार अवसर दिलवाये गये लेकिन न्यायालय समय तक हाजिर नहीं आये। अतः वाद वादी अथवा प्रतिवादी व अधिवक्ता को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्णपीठ आदेश तक स्थगित हो। निर्णय अद्य दिनांक 11/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर